प्रकरण संख्या 29/2019 2019/00056 तारीख रजु–20.02.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाड़िया, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

छज्जी पुत्र फूली जाति गूजर निवासी लीलरियापुरा, तहसील मासलपुर – अप्रार्थी

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–17.09.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थीयान के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 235 रकबा 1–08 बीघा ग्राम नयावास तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 235 रकबा 1–08 बीघा ग्राम नयावास सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नाली दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2027–2030 तक के खाता सं 9 किस्म गै.मु. नाली से श्री छज्जी पुत्र श्री फूली निवासी लीलरियापुरा के नाम जरिए आवंटन/नियमन/डिक्री से दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 तक में श्री छज्जी पुत्र श्री फूली निवासी लीलरियापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 235 रकबा 1–08 बीघा बाके ग्राम नयावास को वापस राजकीय भूमि गै0मु0 नाली दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, नामांतरकरण संख्या 4 दिनांक 17.05.1970, नामांतरकरण संख्या 65 दिनांक 18.10.1977, जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 की प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी की गई।

वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि रेफरेन्स का मद नं. 1 जिस तौर पर दर्ज है, में खसरा नं. 235 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा का ग्राम नयावास तहसील करौली में होना स्वीकार है। बकिया इबारत गलत है, स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार पचासों वर्षों से है और काबिज काश्त है। रेफरेन्स का मद नं. 02 जिस तौर पर दर्ज है मे खसरा नं. 235 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा ग्राम नयावास सम्वत 2015 में नाली दर्ज होना स्वीकार है बकिया इबारत जिस तौर पर दर्ज है गलत है स्वीकार नही है उक्त आराजी सम्वत 2015 से पूर्व नाली भूमि नही रही है बल्कि खसरा नं. 235, खसरा नं. 233 व 247 की भूमि है और खसरा नं. 235 खसरा नं. 233 व 247 में एक चक समतल है जिसमें फसल काश्त होती है भूमि नाली उपयोग में नही रही है ना अब आ रही है मौके पर कोई नाली नही है बल्कि काबिल काश्त भूमि है जो अप्रार्थीगण की आवंटित भूमि है जिसके सम्वत 2015 वक्त सैटिलमेंट नाली भूमि के गलत इन्द्राज हुये है। सम्वत 2015 से पूर्व का नली होने का कोई राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी द्वारा पत्रावली मे प्रस्तुत नही किया है। रेफरेन्स का मद नं. 3 जिस तौर पर दर्ज है गलत है स्वीकार नही है स्वयं लैण्डहोल्डर प्रार्थी की अभिशंषा से भूमि आवंटन अधिकारी द्वारा अप्राथी को आवंटित की गयी है जिसे काफी लम्बा अर्सा हो चुका है भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा दिनांक

जिला कलक्टर
करौली

15.10.1955 से पूर्व से है धारा 16 आर.टी.एक्ट के प्रावधान प्रकरण में लागू नहीं होते है दिनांक 15.10.1955 का कोई राजस्व रिकार्ड प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है हस्तांतरण वैध व विधिवत है जिसे प्रार्थी निरस्त कराने का अधिकारी नही है प्रार्थी अपने एक्ट अपोन से एस्टोपड है। रेफरेन्स का मद नं. 4 जिस तौर पर दर्ज है गलत है स्वीकार नही है इस मद में दर्ज प्रकरण मे दिनांक 15.08.1947 का राजस्व रिकार्ड रिटकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान में प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर यह निर्णय पारित किया गया था जबकि उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.08.1947 का कोई राजस्व रिकार्ड रेफरेन्स का पत्रावली में रेफरेन्स के साथ प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह साबित होता है कि भूमि दिनांक 15.08.1947 को नाली भूमि थी इस स्थिति में रेफरेन्स प्रार्थी विधि अनुसार चलने योग्य नही है और हरसूरत खारिज किये जाने योग्य है। रेफरेन्स का मद नं. 5 बाबत सहायता है प्रार्थी द्वारा रेफरेन्स के साथ दिनांक 15.08.1947 का राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नही करने से दिनांक 15.08.1947 को भूमि नाली भूमि रही हो साबित नही होने से एवं काफी लम्बें अर्से के बाद यह रेफरेन्स प्रस्तुत करने के कारण भी चलने योग्य नही होकर खारिज किये जाने योग्य है। अंत में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नंबर 235 रकबा 0–07 बीघा ग्राम वाजीदपुर सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नाली दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु नामांतरण संख्या 4 से किस्म बारानी–सोयम से श्री श्री छज्जी पुत्र श्री फूली निवासी लीलरियापुरा के नाम जरिए आवंटन/नियमन/डिक्री से दर्ज कर दिया गया। संवत् 2071–74 में यह भूमि श्री छज्जी पुत्र श्री फूली निवासी लीलरियापुरा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अप्रार्थी आराजी खसरा नं. 235 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा ग्राम नयावास का खातेदार काश्तकार पचासों वर्षों से है और काबिज काश्त है। खसरा नं. 235 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा ग्राम नयावास सम्वत 2015 में नाली दर्ज होना स्वीकार है। उक्त आराजी सम्वत 2015 से पूर्व नाली भूमि नही रही है बल्कि खसरा नं. 233, 247 की भूमि है और खसरा नं. 235 खसरा नं. 233 व 247 में एक चक समतल है जिसमें फसल काश्त होती है भूमि नाली उपयोग में नही रही है ना अब आ रही है मौके पर कोई नाली नही है बल्कि काबिल काश्त भूमि है जो अप्रार्थीगण की आवंटित भूमि है जिसके सम्वत 2015 वक्त सैटिलमेंट नाली भूमि के गलत इन्द्राज हुये है। सम्वत 2015 से पूर्व का नाली होने का कोई राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी द्वारा पत्रावली मे प्रस्तुत नही किया है। स्वयं लैण्डहोल्डर प्रार्थी की अभिशंषा से भूमि आवंटन अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण के पिता को आवंटित की गयी है जिसे काफी लम्बा अर्सा हो चुका है। भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा दिनांक 15.10.1955 से पूर्व से है धारा 16 आर.टी.एक्ट के प्रावधान प्रकरण में लागू नहीं होते है। दिनांक 15.10.1955 का कोई राजस्व रिकार्ड प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। हस्तांतरण वैध व विधिवत है जिसे प्रार्थी निरस्त कराने का अधिकारी नही है प्रार्थी अपने एक्ट अपोन से एस्टोपड है। मद 4 में दर्ज प्रकरण मे दिनांक 15.08.1947 का राजस्व रिकार्ड रिटकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान में प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर यह निर्णय पारित किया गया था जबकि उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.08.1947 का कोई राजस्व रिकार्ड रेफरेन्स का पत्रावली में रेफरेन्स के साथ प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह साबित होता है कि भूमि दिनांक 15.08.1947 को नाली भूमि थी इस स्थिति में रेफरेन्स प्रार्थी विधि अनुसार चलने योग्य नही है और हरसूरत खारिज किये जाने योग्य है। रेफरेन्स का मद नं. 5 बाबत सहायता है प्रार्थी द्वारा रेफरेन्स के साथ दिनांक 15.08.1947 का राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत

जिला कलक्टर
करौली

नही करने से दिनांक 15.08.1947 को भूमि नाली भूमि रही हो साबित नही होने से एवं काफी लम्बें अर्से के बाद यह रेफरेन्स प्रस्तुत करने के कारण भी चलने योग्य नही होकर खारिज किये जाने योग्य है। अंत में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 235 रकबा 1–08 बीघा गै0 मु0 नाली दर्ज रिकॉर्ड है। नकल नामांतकरण संख्या 4 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 235 किस्म बारानी सोयम रकबा 1–08 श्री छज्जी पुत्र श्री फूली निवासी लीलरियापुरा के नाम दिनांक 17.05.1970 को स्वीकार किया है। नकल जमाबन्दी सं0 2071 लगायत 2074 के अनुसार खसरा नंबर 235 किस्म बारानी–3 रकबा 1–08 श्री छज्जी पुत्र श्री फूली निवासी लीलरियापुरा अंकित है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में गै0 मु0 नाली दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि आवंटित की गई है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम नयावास की आराजी खसरा नंबर 235 रकबा 1–08 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै0मु0 नाली दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 17.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर
करौली